



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा0/स्था0/सहा0अभि0/2025-26

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता (आई0टी0) अधिकारियों को निगम कार्य हित में स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित/स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम (अभि0सं0)/सैप आई0टी0/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	नव तैनाती कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री शिवम कुमार सिंह (2017656) / 11002991/बिजनौर/31.10.2051	सहायक अभियन्ता (आई0टी0), आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ	सहारनपुर क्षेत्र
2	श्री अश्वनी कुमार (2018033)/ 13000016/सहारनपुर/31.07.2049		मुरादाबाद क्षेत्र
3	श्री उत्तम कुमार (2021269)/ 11006480/शामली/31.03.2053		गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम
4	श्री हरीश तिवारी (2024039)/ 11008565/गाजियाबाद/31.08.2058		नोएडा क्षेत्र
5	श्रीमती अति गुप्ता (2018078)/ 11000493/बिजनौर/31.07.2049		सहायक अभियन्ता (डी0आर0 सैन्टर), सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नोएडा।
6	श्री अभिषेक कुमार (2018006)/ 11002989/देवगढ़(झारखण्ड)/31.12.2050	सहायक अभियन्ता (डी0आर0 सैन्टर), सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नोएडा।	गाजियाबाद क्षेत्र-तृतीय

- उक्त आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई0आर0पी0 के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान सम्बन्धित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियन्त्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त अधिकारी द्वारा आई0टी0 व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

ईशा दुहन
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 5585 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 25-10-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का0 एवं प्रशा0)/(वाणिज्य)/(वित्त), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि0), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण) गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम/तृतीय/मुरादाबाद क्षेत्र/सहारनपुर क्षेत्र/नोएडा क्षेत्र।
- अधीक्षक अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को वैब-साइट पर अपलोड कराने हेतु।
- अधीक्षक अभियन्ता (आई0टी0), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, डी0आर0 सैन्टर, सूचना प्रौद्योगिकी खण्ड, नोएडा।
- उप सचिव (अ0प्र0-(2ब)/(गोपन), उ0प्र0, पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
- संबन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(माज)
अधिशाली अभियन्ता एच0आर0)